

**U; k; ky; fMohtuy dfe'uj] tk'ki g ,oa insu Hk&vfHky[k fun'kd
iHkl hu vf/kdkjh %ch ,y- dkBkjH vkbZ,-, l**

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 416/2017

viHykV

बनाम

j&i kMBVI

1. भभूतमल उर्फ भभूतराम पुत्र
सोमाजी घांची निवासी— रोहिडा
तहसील पिण्डवाडा, जिला
सिरोही।
2. गणेशराम उर्फ गणेशलाल पुत्र
सोमाजी घांची निवासी— रोहिडा
तहसील पिण्डवाडा, जिला
सिरोही।

1. ग्राम पंचायत रोहिडा, तहसील
पिण्डवाडा जरिये सरपंच
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये
अधिशायी अभियन्ता, आबूरोड।
3. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये
सहायक अभियन्ता, स्वरूपगंज।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार
पिण्डवाडा, सिरोही।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.06.2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा, सिरोही राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2013 अनवान ग्राम पंचायत रोहिडा जरिये सरपंच बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये अधिशायी अभियन्ता वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थिती:—

1. प्रमोद गुप्ता, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. संजय गुप्ता, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 2,3,4 की ओर से।

fu.kz

f nukd%06-01-2020

1. अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2013 अनवान ग्राम पंचायत रोहिडा जरिये सरपंच बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग, जरिये अधिशायी अभियन्ता वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 के विरुद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 8.1.2016 को प्रस्तुत की गई

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगौराह

है। अपील के संलग्न अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपस्थित अधिवक्तागण को सुना गया।

2. अपीलान्त के अभिभाषक के द्वारा धारा 96 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार की गई बहस पर मनन करने के उपरान्त अपीलान्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित व्यक्ति/पक्षकार होना प्रकट होता है। जहाँ तक रेस्पोंडेन्टस के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपीलान्त द्वारा अपील दायर करने हेतु अनुमति नहीं होने के कथन बाबत इतना कहना ही उचित होगा कि एकबार अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर ली गई है तो यह अन्तर्निहित है कि न्यायालय द्वारा उन्हें अपील पेश करने की अनुमति दे दी गई है।
3. अपीलान्त की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड एवं रेस्पोंडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।
4. हमने दोनों पक्षकारान के अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।
5. दौरान सुनवाई अपीलान्तस के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी सिरोही के समक्ष रेस्पोंड संख्या एक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम रोहिडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा संख्या 2948 के नक्शा किस्तवार की त्रुटि को दुरुस्त करते हुए नक्शों में दर्शित पंचायत की भूमि रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा को अलग से नक्शा किस्तवार में दर्शाते हुए उक्त भूमि का नया खसरा नम्बर अंकित करने के निर्देश प्रदान करें। प्रार्थी की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आधार पर नक्शों में परिवर्तन करने का निवेदन किया कि पूर्व में उक्त खसरा संख्या 2948 की भूमि को जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश से ग्राम पंचायत को आवंटित की गई लेकिन वक्त सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि से नक्शा किस्तवार में सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में उक्त खसरा दर्शा दिया गया जिसे दुरुस्त किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त खसरा संख्या 2948 को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से अपीलान्त के भूखण्ड पर आने जाने का रास्ता बन्द हो

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगैराह

जायेगा जो ख0सं0 2948 से ही गुजरता है तथा उससे चिपते हुए ही अपीलान्टस के खेत खसरा आये हुए है।

6. अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि ग्राम रोहिडा में अपीलार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 2975, 2976, 2977, 2979, 2980, 29887, 2988, 2982 आये हुए है। जिसके समीप ही सार्व0 निर्माण विभाग की आम सडक आई हुई है जिसके सम्बन्ध में दिये गये आक्षेपित आदेश से अपीलार्थीगण के महत्वपूर्ण साम्पतिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिये यह अपील प्रस्तुत करनी पड रही है। जिसके विवादग्रस्त खेत खसरा संख्या 2948 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के खाते में दर्ज है, उसे लैण्ड एक्विजीशन आफिसर जोधपुर ने विधि अनुसार कार्यवाही कर सडक के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की थी जिसके आधार पर उक्त खसरा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम जमाबन्दी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई, उसे धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के माध्यम से अन्य पक्ष को आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि को रेस्पो0 संख्या एक ने वर्ष 1953 के जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश से अपने पक्ष में आवंटन होना बता रहे हैं।
7. इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की ओर से न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत के समक्ष राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 12/2003 ग्राम पंचायत बनाम राज्य वगैराह अन्तर्गत धारा 125-136 राज0 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया था जिसे सहायक कलेक्टर आबूपर्वत ने दिनांक 31.10.2003 को खारिज कर दिया था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश हस्तगत प्रकरण में रेसज्युडिकेटा का प्रभाव रखता है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश दिनांक 31.10.2003 को किसी भी पक्षकार ने सक्षम न्यायालय में अपील या रिविजन के माध्यम से चुनौती नहीं दी है तथा खेत खसरा संख्या 2948 के सम्बन्ध में हुए पूर्व के आदेश को छुपाया गया है। उक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकारान, विवाघक, न्यायालय, वाद समान है। ऐसे में पूर्व में पारित प्रकरण संख्या 12/2003 के निर्णय रेसज्युडिकेटा प्रभाव रखता है।
8. अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य झूठे अंकित किये एवं स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं और पूर्व में पारित निर्णय

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगौराह

दिनांक 31.10.2003 के तथ्यों को छुपाते हुए नया अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जो शून्य आदेश की श्रेणी में आने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. रेस्पोजेन्टस संख्या एक ने अपीलान्ट के उक्त आने-जाने वाले को बन्द करने एवं अवैध कब्जा करवाने की नियत से ही अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राज सरकार की ओर से टिप्पणी तलब करते तथा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करते, वर्तमान समय में मौके की स्थिति रिपोर्ट तलब करते और रेस्पोजेन्टस संख्या एक को आदेशित करते हुए कि राजस्व रेकर्ड में दर्शाई गई त्रुटि को साबित करने हेतु निर्देशित करते। रेस्पोजेन्टस संख्या एक द्वारा 53 वर्षों पश्चात रेकर्ड दुरुस्ती करने हेतु आवेदन किया जो पूर्ण रूप से म्याद बाहर था जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिये था। वह रेस्पोजेन्टस संख्या एक को आदेश देता कि वह स्पष्ट रूप से साक्ष्य से साबित करे कि किस प्रकार रेकर्ड में त्रुटि है वह त्रुटि पूर्व में क्यों, किस आधार पर हुई और 53 वर्षों पश्चात क्यों त्रुटि के नाम रेकर्ड में परिवर्तन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। लेकिन इन सभी तथ्यों व बिन्दुओं पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया और मात्र जल्दबाजी में बिना कोई साक्ष्य लिये व बिना कोई दस्तावेज का अवलोकन किये आक्षेपित आदेश पारित किया है। किसी भी सरकारी संस्था को सडक पार्क आदि की जमीनों का आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं म्याद बाधित होने से निरस्त करने योग्य है।

10. अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर सक्षम अधिकारियों के सामने अपने अभ्यावेदन पेश किये गये हैं एवं इन पर तहसीलदार कार्यालय की ओर से मौका रिपोर्ट भी दी गई थी। वक्त बन्दोबस्त खसरा संख्या 2948 को पुराने खसरा संख्या 1482, 1483, 1484 व 1485 की भूमि से बनाया गया था और यह स्वतः प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत रोहितडा द्वारा आबादी क्षेत्र हेतु जो भूमि/आराजी राज्य सरकार से मांगी थी उसके लिये ग्राम पंचायत रोहितडा ने राज्य से एलोट की जाने वाली भूमि की स्थिति बताते हुए उन्हें गहरा मार्क कर दर्शाते हुए एक नक्शा बनाया था जिस पर ततः सरपंच ग्राम पंचायत रोहितडा के हस्ताक्षर भी हैं। जिस के सम्बन्ध राज्य सरकार की तरफ से

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगौराह

जिला कलैक्टर सिरौही द्वारा दिनांक 14.10.1963 को आदेश जारी किये गये थे। उक्त सडक रोहिडा से वासा जाने वाली के दक्षिण तरफ ख0सं0 1482 की भूमि है ही नहीं तो किस प्रकार से भूमि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 के प्रार्थनापत्र पर एलोट कर सकता है और किस प्रकार नया खसरा नम्बर दिये जाने का आदेश दे सकते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या एक ने झूठ बोलकर, गुमराह कर तथ्यों को छुपाकर दस्तावेज की कूटरचना कर एलोट करवाना चाहती है जिसका न तो अधिनस्थ न्यायालय को अधिकार था और न ही ऐसा कोई आदेश धारा 136 के तहत पारित किया जा सकता था। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि **who has not, whogive not** जब रेस्पो0 संख्या एक की ख0सं0 2948 के दक्षिण दिशा की तरफ कोई भूमि है ही नहीं है तो उसका पट्टा भी रेस्पो0 संख्या एक द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा पट्टा जारी किया गया है तो उसका कोई विधिक महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक जो नाप बता रहे है वह कदापि प्रमाणिक नहीं है और किस प्रकार से वैध है। इस बाबत कोई सक्षम साक्ष्य या शपथ पर कथन नहीं किया गया हैकि किस प्रकार से भूमि ग्राम पंचायत की है। जबकि सडक के दक्षिण दिशा में ग्राम पंचायत की भूमि थी ही नहीं तो पट्टे जारी करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

11. अभिभाषक अपीलान्त ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक ने यह कही भी नहीं दर्शाया कि उसे उक्त प्रकार की लिपिकिय गलती का कब पता चला और उन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की। ऐसे में धारा 136 का प्रार्थना पत्र निश्चित रूप से म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया था। रेस्पो0 संख्या एक को पता था कि वास्तव में रोहिडा से वासा जाने वाली सडक खसरा संख्या 2948 के दक्षिण दिशा में अपीलार्थीगण के खेत तथा अन्य खातेदारों के खेत आये हुए है जो भूमि ख0सं0 1482 की नहीं है। इसलिये उसके द्वारा राजस्व वाद दायर नहीं कर मात्र धारा 136 के प्रार्थना पत्र के जरिये ही अनुतोष चाहने की कोशिश की गई और अधिनस्थ न्यायालय ने भी धारा 136 के प्रावधानों की पालना करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 01 को जो भूमि एलोट करने का आदेश दिनांक 14.10.1963 को पारित किया गया वह पुराने सेटलमेन्ट के नाप से बताया गया है। उस वक्त 132 गुणा 132

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगौराह

फुट जरीब के नाप से नापा जाता था और नये वर्तमान चालू पद्धति में बीघा में 165 गुणा 165 फुट के हिसा से भूमि होती है इसलिये ख0सं0 1482 का नाप 17 बीघा ही मिलान क्षेत्रफल में अंकित किया गया है। रेस्पो0 संख्या एक ने षडयंत्र रचकर व मिलीभगत कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जिसका कोई विधिक महत्व नहीं है। अतः उपरोक्त सभी आधारों पर गौर करते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जावे जिसमें वादग्रस्त खसरा न भूमि की किश्तवार नक्शों में सुधार कर पंचायत की आबादी भूमि का नया खसरा नम्बर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

12. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने लिखित में बहस पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट शांतिलाल उक्त अपीलाधीन निर्णय से न तो प्रभावित पक्षकार है और न ही उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार था जिसके आधार पर अपील चुनौती पेश करें क्योंकि अपीलान्ट न तो खसरा संख्या 2948 का रेकर्डेड खातेदार है और न ही उसका वहाँ पर कोई कब्जा काश्त रहा है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया था कि जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 एवं नक्शा किश्तवार सम्वत 1967-68 के अनुसार वक्त बन्दोबस्त खसरा संख्या 2948 के पुराने खसरा संख्या 1482, 1483, 1483, 1484 व 1485 के अलावा 1502, 1507, 1508, 1511, 1512 में से भी भूमि ली जाकर खसरा संख्या 2948 बनाया गया जिसका भू प्रबन्ध पर्चा से मिलान हो रहा है। ग्राम पंचायत रोहिडा को खसरा संख्या 1482 में 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबादी के विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड अनुसार सार्व0 निर्माण विभाग की सडक ख0सं0 2948 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भी आई हुई है जबकि मौके पर 06 बीघा 9 बिस्वा है, जो अधिक है। उक्त 01 बीघा 5 बिस्वा भूमि का अधिकार ग्राम पंचायत रोहिडा का है क्योंकि उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित हो चुकी थी। वक्त बन्दोबस्त में भी उक्त भूमि पीडब्लूडी के खाते में दर्ज हुई जबकि वास्तव में उक्त 01 बीघा 5 बिस्वा

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगैराह

भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित की जा चुकी थी और उस पर वर्तमान में ग्राम पंचायत की ओर से पटटे जारी किये गये एवं आवासीय भवन निर्मित हो रखे हैं।

13. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि सिविल न्यायालय आबूपर्वत द्वारा दीवानी मूल वाद संख्या 12/2009 नरसारांम बनाम राज0 राज्य वगैराह में दिनांक 21.5.2010 को पारित किये गये निर्णय में भी यह अंकित है कि ख0सं0 2948 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि गैरमुमकीन सडक दर्ज है तथा 01 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है और जो पटटे ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि के पटटे जारी किये गये हैं वो पूर्ण रूप से विधि अनुरूप है। उक्त 01 बीघा 5 बिस्वा भूमि सडक की भूमि नहीं है। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम हो चुका है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त दीवानी मूल वाद के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील खारिज करने योग्य है जो खारिज की जावें।
14. रेस्पो0 संख्या एक के अभिभाषक द्वारा प्रत्युतर में यह कथन किया गया कि उनकी बहस भी रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 की ओर से की गई बहस एक जैसी है, इसलिये उनकी भी वही बहस मानी जावे और अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।
15. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अपील मीमों, अधिनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी सिरोही) के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत रेकर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा पेश किया था। जिस पर हमने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से है:—

“भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलतीको नोटिस

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगौराह

किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हैतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हों।”

16. जबकि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के आवेदन पर आवेदन में चाहे गये अनुतोष अनुसार ग्राम पिण्डवाडा के ग्राम रोहिडा के खसरा संख्या 2948 के नये किशतवार नक्शे को सुधारा जाकर पंचायत की आबादी भूमि का नया खसरा नम्बर दिये जाने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नहीं की जा सकती है। धारा 136 में केवल मात्र अधिकार अभिलेख की दुरुस्ती सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है। यह सर्वविदित है कि नक्शा अधिकार अभिलेख नहीं है। इस प्रकार भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाडा के द्वारा धारा 136 के प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादग्रस्त भूमि में नया खसरा नम्बर दिये जाने का अपीलाधीन आदेश जारी किया है जिसे बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे जिला कलेक्टर कार्यालय से ग्राम रोहिडा के उल्लेखित वादग्रस्त खसरान भूमि के ग्राम पंचायत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में हुए भूमि आवंटन/परिवर्तन के सम्बन्ध में अभिलेख तलब करते जिससे की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाती कि उक्त खसरा नम्बर की कितनी भूमि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित हुई और कितनी भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग को सडक हेतु आवंटित हुई और उक्त प्रकार के निष्कर्ष अनुसार **jkt0 H&jktLo vf/kfu; e dh /kjk 131** (मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण) के अनुसार तथा राज0 लैण्ड रिकार्ड रूल्स के तहत यथोचित आदेश पारित करते। **jkt0 H&jktLo vf/kfu; e dh /kjk 131** इस प्रकार से है:—

“सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात भू अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जायेगी और वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक गांव या गांव के भाग, भू सम्पति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लिख लेगा तथा ऐसी गलतियों को, जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।”

16. इस प्रकार भू अभिलेख अधिकारी के अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इन नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी की गई है। ऐसे में हमारा विनम्र मत है कि अपीलान्त

राजस्व अपील संख्या 416/2017 भभूतमल बनाम ग्राम पंचायत वगौराह

की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों के अनुसार प्रकरण में पुनः कार्यवाही करने हेतु प्रकरण भू अभिलेख अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

17. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा) के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण लैण्ड लैण्ड ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए ग्राम रोहिडा के उल्लेखित खसरान 2948 के सम्बन्ध में पूर्व में जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत, रोहिडा को आबादी विस्तार हेतु किये गये भूमि आवंटन को एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को हुए भूमि आवंटन से सम्बन्धित संधारित किये गये अभिलेखों को तलब कर उनका गहनतापूर्वक परीक्षण करे एवं हितबद्ध पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त प्रकरण में राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं राज0 लैण्ड रिकार्ड रूल्स के तहत यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

१/०१, २०२०
१/०१, २०२०
१/०१, २०२०